



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं 01 लाख 03 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म करने के संबंध में दिनांक 07.04.2021 को थाना गंज पर मु०अ०सं०- 139/21 धारा- 376(3)/504/506/120B/342 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट बनाम यमन खां पुत्र बब्बू खां निवासी मौ० बिलासपुर गेट थाना गंज जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- 31.08.2024 को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ADJ-8, रामपुर द्वारा अभियुक्त यमन खां पुत्र बब्बू खां उपरोक्त 10 वर्ष का कारावास एवं 01 लाख 03 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त यमन खां पुत्र बब्बू खां निवासी मौ० बिलासपुर गेट थाना गंज जनपद रामपुर को 10 वर्ष का कारावास एवं 01 लाख 03 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @rampurpolice

 7839859826



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को ०३ वर्ष का कारावास एवं १० हजार ५०० रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने के संबंध में दिनांक ०६.१०.२०२१ को थाना केमरी पर मु०अ०सं०- १४८/२१ धारा- ३५४क/३४१ भादवि व ८ पॉक्सो एक्ट बनाम शन्नु पुत्र शहजादे निवासी ग्राम सिमरिया थाना केमरी जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- ३१.०८.२०२४ को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ADJ-८, रामपुर द्वारा अभियुक्त शन्नु पुत्र शहजादे उपरोक्त ०३ वर्ष का कारावास एवं १० हजार ५०० रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त शन्नु पुत्र शहजादे निवासी ग्राम सिमरिया थाना केमरी जनपद रामपुर को ०३ वर्ष का कारावास एवं १० हजार ५०० रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @rampurpolice

 7839859826